



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrar@sua@yahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक / 138 / अकादमिक / 2022

अम्बिकापुर, दिनांक 07.02.2022

प्रति,

1. प्राचार्य

समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

2. विभागाध्यक्ष

समस्त शैक्षणिक/प्रशासकीय विभाग
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संचालन के संबंध में।

संदर्भ :- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश दिनांक 04.02.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित आदेश एवं पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पत्र एवं आदेश में दिये गए निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 139 / अकादमिक / 2022

अम्बिकापुर, दिनांक 07.02.2022

प्रतिलिपि की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
4. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परिसर अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
5. कार्यालयीन नस्ती।

कुलसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर .

--00--

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.02.2022

कमांक एफ 17-04/2022/38-1 :: समसंख्यक आदेश दिनांक 13.01.2022 द्वारा समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्ययन-अध्यापन तथा परीक्षाओं के संबंध में आदेश प्रसारित किये गये थे। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। अतः निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अमलों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जावे।
2. शैक्षणिक अमलो द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित रहकर समय-सारिणी अनुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाएँ नियत समय पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायें।
3. जिले में संक्रमण दर को ध्यान रखते हुए छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। 04 प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिलों में भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। 04 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी हेतु जारी निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जावे।
4. कोविड प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आवेधानुसार,
(ए.आर.खान) 4/2
अवर सचिव

पृ.क. एफ 17-04/2022/38-1


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.02.2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,

निरंतर..

3. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
 4. कुलपति, कुशाभारु ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर,
 5. कुलपति पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
 6. कुलपति, अटल बिहारी, बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
 7. कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगलदपुर,
 8. कुलपति, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
 9. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव,
 10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
 11. समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति
 12. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर । कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
 13. समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़,
 14. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़,
 15. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर, रायपुर,
 16. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 17. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
 18. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
 19. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग